

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- चि.प्रशा./ 2025/ 11

दिनांक:- 20.01.2025

विडियों कॉन्फेस आदेश

निर्देशानुसार निदेशक (जन0 स्वा0) की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2025 को दोपहर 03:00 से साय: 05:00 बजे तक (डीओआईटी के माध्यम से) एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन वी.सी के माध्यम से आयोजन किया जा रहा है। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे एजेंडा अनुसार समस्त सूचनाओं के साथ भाग लेना सुनिश्चित करें।

एजेंडा बिन्दु:-

- टी.बी मुक्त भारत अभियान।
- राईजिंग राजस्थान/बजट घोषणा।
- आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों के क्रम में।
- अन्य बिन्दु।

उक्त वी.सी. में निदेशालय/जिला स्तर से निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्ण तैयारी के साथ भाग लिया जाना है:-

राज्यस्तरीय अधिकारीगण/प्रतिभागी	जिलास्तरीय अधिकारीगण/प्रतिभागी
<ul style="list-style-type: none">• समस्त अति0 निदेशक,(राजपत्रित, चि.प्र./ग्रा. स्वा)• संयुक्त निदेशक(प्लान)/उप -निदेशक (विधानसभा)।• स्टेट नोडल अधिकारी (टी.बी)/राईजिंग राजस्थान।	<ul style="list-style-type: none">• समस्त संयुक्त निदेशक - जोन।• समस्त उप निदेशक - जोन।• समस्त मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी।• जिला क्षय अधिकारी।• उप- मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी (स्वा0/परिवार कल्याण)• जिला शिशु एवं प्रजनन अधिकारी• समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

उक्त वी.सी. में कोई भी अधिकारी निदेशक जन0 स्वा0 की अनुमति के बिना अनुपस्थित नहीं रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अति0 निदेशक (चि. प्र.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- चि.प्रशा./ 2025/ 11

दिनांक:- 20.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक (आरएमएससीएल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वा./आरसीएच) मुख्यालय।
5. समस्त संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आई.टी. को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वी.सी. के आयोजन की व्यवस्था करावें।
7. भण्डार अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वी.सी. के लिए आरएचएसडीपी के मिटिंग हॉल बुक करने एवं चाय एवं अल्पाहार की व्यवस्था करावें।
8. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि सम्बंधित को ई-मेल आईडी पर मेल कराने एवं विभागीय वेब साईड पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (चि. प्र.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।